

गालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 3DAYS	15 DAYS	1MONTH	
50 शब्द, प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रुपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	100/-	500/- 1000/-	
द्विस्तरीय क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	1DAYS	7DAYS	1MONTH
	500/-	1800/- 3000/-	

पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-
गुरुशुद्धा, जन्मदिन, बधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-

नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया Display Classified Rate

वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रुपये अतिरिक्त शब्द **Rs. 500/-**

Contact:-
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एक्टर कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार-पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.

एनएएम ने की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

गालियर 4 अगस्त. संयुक्त एनएएम एसोसिएशन (संविदा-नियमित) कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष विमलेश शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय में नारेबाजी की गई। इस दौरान आक्रोशित एनएएम ने चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रों के नाम सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण तीन दिवस के अंदर करने की हुआ तो सभी नियमित एवं संविदा एनएएम 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।



विमलेश शर्मा ने बताया कि एक एनएएम को ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र में 2-3 हजार और शहरी क्षेत्र में 3 से 5 हजार की जनसंख्या पर कार्य करना होता है। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण, पहाड़ी क्षेत्र में 15-30 हजार लोगों का कार्य कराया जा रहा है। उसके बाद भी एनएएम रिक्त सीएचओ पदस्थ आयुष्मान अरवि मंदिरों पर भी कार्य कराया जा रहा है।

इसी तरह समुदाय को सभी स्वास्थ्य सेवाएं गुणवत्ता पूर्ण तरीके से सेंवारें पुर हो सकें, इसके लिये सहयोग के लिए शासन द्वारा सीएचओ, पीएचएम, बीसीएम, वीपीएम, एलडीसीएमआईसी व ऑपरिटर नियुक्त किये हैं। इसके बावजूद भी सभी पद के कर्मचारी, अधिकारियों समान व्यक्तित्व रखकर एनएएम के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है।

लिहाजा इन सभी कर्मचारियों की गाइडलाइन एनएएम संघ के साथ साझा की जाए और इन सभी के कार्यों की समीक्षा भी एनएएम के समान की जाए। कार्य मूल्यांकन दृष्टिकोण से क्यों नहीं तय किया गया? क्योंकि सीडीआर, एमपीआर का कारण यहीं से तय होता है। वहीं दोषी एनएएम को ठहराया जाता है। ज्ञापन में सुमन तोमर, संस्था यादव, राधा नरवरिया, सीमा शर्मा, दीप्ति रावत, ममता नरवरिया, निरजा राजपूत, भारती शर्मा, सुनीता पाल, रानी राठौर, वंदना यादव, कुसुम दोहरे जयंती प्रजापति, पूजा यादव, रेखा बघेल, संगीता भटनागर, संतोषी बघेल, रजनी गौर आदि एनएएम मौजूद रहें।



धूमेश्वर महादेव मंदिर में हरियाली तीज महोत्सव आयोजित

गालियर 4 अगस्त. धूमेश्वर महादेव मंदिर, भितरवार में अखिल भारतीय माहौर ग्वार वैद्य महासभा के तत्वावधान में हरियाली तीज महोत्सव एवं सामूहिक पारिवारिक गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन में लगभग 1000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया और महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी अनुरुद्रान महाराज ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मांडिल व कार्यकारिणी ने आयोजन की रूपरेखा तैयार की। वोटर आईडी कार्ड का विमोचन सुरेश चंद्र गुप्ता के करकमलों से हुआ। महिला कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, झूले व हरियाली सेल्वी फाईट रहे आकर्षण का केंद्र। संचालन श्रीमती अंजुला बंसल व श्रीमती विनीता गुप्ता ने किया। सहयोग में श्री राधेश्याम जी, पंकज गोयल, आनंद गुप्ता, मनीष गांगुल समेत अनेक सदस्य शामिल रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **संतोष कुमार शर्मा पुत्र राम सनेही** निवासी ग्राम व पोस्ट ऐतहार जिला-भिण्ड मध्यप्रदेश में रहता हूँ। मैंने बाल्य के सभी प्रयोजनों के लिए अपना नाम बदलकर **संतोष समाधिया** रख लिया है।

In The Court Of V Civil Judge Class-II, District Court, Bhind

Presiding Officer- श्री सरमा देवीया (आदेश 5 फिनम 20 व्याहर प्रशासन विभाग 1908 के अंतर्गत प्रशासन हेतु) (RCSA/000007/1/2025) चंड बरवा,जादी

Vs सर्वसाधारण, प्रतियवनी

Process Id-160/2025 पेशी दिनांक - 11/09/2025

प्रतिज्ञा

(1) सर्वसाधारण यह कि प्रायश्चित्त चंदा बरेठा पत्नी राजकुमार बरेठा निवासी राविरिया सह. व जितन मिश्र व म.प्र. में सर्वसाधारण के विरुद्ध वादिका के दादा श्रीराम बरेठा के नाम आरजी मोजा बिरायानी सह. पुत्र सुप्रसा अरिच जिला मिश्र में आरजी क. 811 रकबा 20 है. 815 रकबा 55 है. 833 रकबा 33 है. 872 रकबा 06 है. 1043 रकबा 23 है. 1373 रकबा 46 है. 1382 रकबा 80 है. 1383 रकबा 26 है. कुल किरा 8 रुक रकबा 2.89 आरजी मोजा बिरायानी की आरजी क 1723 रकबा 78 है. 1733 रकबा 73 है. कुल किरा 2 रुक रकबा 1.51 में 1/8 हिस्सा. एवं आरजी मोजा बिरायानी सह. सुप्रसा अरिच मिश्र में आरजी क. 1720 रकबा 69 है. 1735 रकबा 33 है. कुल किरा 2 रुक रकबा 1.02 में 1/6 हिस्सा के लिए सर्वसाधारण के आधार पर वादग्रस्त भूमिगत पर प्लट और अधिवास घोषित किये जाने अनिश्चित धारा 34 विनियमित अनुमति अधिनियम का वाद संस्थित किया है. यदि किसी को आपत्ति हो तो आप न्यायालय में खरा व फिलो से वकील (अधिवक्ता) द्वारा अज्ञात हो सकते है, जिसे समक अनुदेश दिव्य गेव हो और जो इस वाद में संबधित सभी सारवागत कानून का उतर दे सकें। आपको यह निश्चय भी दिया जाता है कि इस जिन अपनी प्रतिक्रिया का लिखित कवन प्रस्तुत करें और उस दिन एच के सदस्य को आपका कचरे या शक्ति में है धारा करे जिन पर आपका प्रतिक्रिया या मुनराद का दावा या प्रतिक्रिया आगरात हो. और यदि आपका अन्य किसी दस्तावेज पर वाद वक आपके कचरे या शक्ति में हो अपना प्रतिक्रिया या मुनरा के दावा या प्रतिक्रिया के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर करत है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कवन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रतिक्रि करे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अधिनियम इन न्यायालय में उपस्थित नहीं होगे वाद की एक प्रतिय सुनवाई कर उसका निराकरण आपकी अनुपस्थिति में करे जासके। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से अपने के डकुमेंट है तो तदानी अधिकारी को अज्ञात करावें। यह आरज तारीख 01 August 2025 को मेरे दस्तावेज से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

(सत्यम देविला) चंम व्याहर न्यायाधीश वरिष्ठ शब्द मिश्र (म.प्र.)

दिग्गो कृपा ध्यान :-

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अकाश पर रहेगा तो आगामी कर्मदिन पर वह प्रकल्प सुनवाई में लिया जागा।

नामांकन विज्ञापि/आम सूचना

भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 20 वाई क्रमांक 51 भवन क्रमांक ... स्थान 726, श्रीकृष्ण कॉलोनी में स्थित है जो कि खांडा दीवार/गिरवाही लाल दीवार आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000078067 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 531 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड किया गया ... दिनांक द्वारा क्राय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के अशायों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिन् जमाना केन्द्र ... पर दिनांक को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रक़ाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसलन दरताजित साहित प्रस्तुत करे निमत अधिष पत्रावत कोई आपत्ति नाम नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

CHANGE OF NAME

I, Service No. 15801391V Rank- NK (OPR) Name- ATUL KUMAR YADAV, Residing at Village- Lalapur, Post- Rooma, Tehsil- Narwal, District- Kanpur Nagar, State- U. P. Pin- 209402 have changed my Father's Name from JAGDESH PRASADYADAV to JAGDESH & Date of Birth from 02/03/1969 to 07/08/1970 due to mismatch in my Army Service Record. vide Affidavit No. BV 665999 Dated 04/08/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).

नामांकन विज्ञापि/आम सूचना

भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 15 वाई क्रमांक 34 भवन क्रमांक ... स्थान जरीपटका में स्थित है जो कि हरिवाबू सेन/पुडुदराम सेन आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000081853 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 674 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड किया वर मुयु उपरात दिनांक द्वारा क्राय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के अशायों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिन् जमाना केन्द्र ... पर दिनांक को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रक़ाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसलन दरताजित साहित प्रस्तुत करे निमत अधिष पत्रावत कोई आपत्ति नाम नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

नामांकन विज्ञापि/आम सूचना

भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वाई क्रमांक 07 भवन क्रमांक ... स्थान गोकुल विलास, मानपुर में स्थित है जो कि रामवरन सिंह/निगरी सिंह आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000035547 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड किया वर मुयु उपरात दिनांक 23 12 दिनांक 03/03/2012 द्वारा क्राय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के अशायों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिन् जमाना केन्द्र ... पर दिनांक को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रक़ाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसलन दरताजित साहित प्रस्तुत करे निमत अधिष पत्रावत कोई आपत्ति नाम नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

नामांकन विज्ञापि/आम सूचना

भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वाई क्रमांक 07 भवन क्रमांक ... स्थान गोकुल विलास, मानपुर में स्थित है जो कि रामवरन सिंह/निगरी सिंह आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000035547 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड किया वर मुयु उपरात दिनांक 23 12 दिनांक 03/03/2012 द्वारा क्राय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के अशायों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिन् जमाना केन्द्र ... पर दिनांक को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रक़ाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसलन दरताजित साहित प्रस्तुत करे निमत अधिष पत्रावत कोई आपत्ति नाम नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

नामांकन विज्ञापि/आम सूचना

भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वाई क्रमांक 07 भवन क्रमांक ... स्थान गोकुल विलास, मानपुर में स्थित है जो कि रामवरन सिंह/निगरी सिंह आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000035547 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड किया वर मुयु उपरात दिनांक 23 12 दिनांक 03/03/2012 द्वारा क्राय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के अशायों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिन् जमाना केन्द्र ... पर दिनांक को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रक़ाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसलन दरताजित साहित प्रस्तुत करे निमत अधिष पत्रावत कोई आपत्ति नाम नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

नामांकन विज्ञापि/आम सूचना

भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वाई क्रमांक 07 भवन क्रमांक ... स्थान गोकुल विलास, मानपुर में स्थित है जो कि रामवरन सिंह/निगरी सिंह आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000035547 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड किया वर मुयु उपरात दिनांक 23 12 दिनांक 03/03/2012 द्वारा क्राय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के अशायों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जमिन् जमाना केन्द्र ... पर दिनांक को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रक़ाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसलन दरताजित साहित प्रस्तुत करे निमत अधिष पत्रावत कोई आपत्ति नाम नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

पुस्तक विमोचन एवं साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित

नवभारत न्यूज

गालियर 4 अगस्त. *पाठक मंच थाटीपुर, इकाई म.प्र.साहित्य अकादमी भोपाल से सम्बद्ध व रमन शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज दो पुस्तकों का विमोचन एवं साहित्यकार सम्मान समारोह विवेकानंद नशा मुक्तिकेंद्र थाटीपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष शिक्षाविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश तोमर रहे। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ गीतकार मुरारी लाल गुप्त गीतेश एवं विशिष्ट अतिथि द्वय के रूप में धीरेन्द्र सिंह गहलोत धीर डबारा एवं डॉ. दीपक सक्सेना रहे। सारस्वत अतिथि की आरंभी पर वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सुरेश सम्राट मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि राम लखन शर्मा अंकित ने किया। अतिथि परिचय कवि राम चरण ने प्रस्तुत किया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सेवा क्रमांक 4375649X पद एल/एनके नाम संजय खोवा सिंह युनिट- 6 अग्रम रजिमेंट, गांव हीनगाम मयाई लीकाई, जिला इंफाल पूर्व, राज्य पण्णपूर- पिन-795002 में निवास करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का स्थायी निवासी हूँ। सेवा दस्तावेजों में गलत प्रकाशन के कारण मैंने अपनी पत्नी का नाम एस ओ रंजीता देवी से बदलकर सेनजय रंजीता देवी कर लिया है। और जन्मतिथि 13-03-1985 से बदलकर 12-09-1983 हो गई है - मैं अपनी पत्नी को नाम के साथ के लिए यह शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ। दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। इसके बाद सभी अभिलेखों, कार्यों और वसीयत में और लेन-देन से संबंधित सभी कार्यावहियों में, निजी और साथ ही सभी अवसरों पर, जो भी हों, केवल सेनजय रंजीता देवी के रूप में जानी जाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं हरी प्रसाद गुप्ता पिता का नाम स्व. श्री विहारिलाल गुप्ता, आधार नंबर 3715 8526 6777, निवासी- गुप्ता दुर्धिया, नरवर बाजार, जीओर, गालियर म.प्र. 475110 यह कि मैं पत्रकारिता शोधकर्ता सत्य करण करता हूँ, कि - यह कि मेरे पुत्र हरी गुप्ता ने कक्षा 10वीं को परीक्षा सन 2009 में उत्तीर्ण की थी। जिसका रोल नं. 191431117 है। जिसमें मेरे पुत्र को मार्केटिंग में मेरा नाम हरी गुप्ता अंकित है। जब कि मेरे आधार एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हरी प्रसाद गुप्ता अंकित है जो कि सत्य व सही है। यह कि मैंने शोधकर्ता एवं अन्य पुत्र को नाम से पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ जिसमें पुत्र शोधकर्ता का नाम हरी प्रसाद गुप्ता अंकित करवाकर नाम पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ। यदि भविष्य में मेरे नाम से संबंधित कोई आपत्ति आती है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ शोधकर्ता की होगी। यह कि उरारक कथन की सत्यता में शपथ पत्र क्र.35AA 367731 प्रस्तुत है।

CHANGE OF NAME

I, Service No. 15801369L Rank- NK Name- SHASHANK KUMAR, Residing at Village- Naugawan, Post- Harchandkhera, Tehsil- Narwal, District- Kanpur Nagar, State- U.P. Pin- 209401 have changed my Wife's Name from ANSHIKA MISHRA to ANSHIKA AWASTHI due to mismatch in my Army Service Record. vide Affidavit No. BV 598302 Dated 04/08/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Service No. 15794967X Rank- LHAV (DS) Name- DINAMONI BORDOLOI, Residing at Village- Ghuligaon, Post- Baghara, Tehsil- Morigaon, District- Morigaon, State- Assam Pin- 782105 have changed my Wife's Name from JITUMONI DEWARI to JITUMONI DEURI due to mismatch in my Army Service Record. vide Affidavit No. BV 598301 Dated 04/08/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Service No. 15794967X Rank- LHAV (DS) Name- DINAMONI BORDOLOI, Residing at Village- Ghuligaon, Post- Baghara, Tehsil- Morigaon, District- Morigaon, State- Assam Pin- 782105 have changed my Wife's Name from JITUMONI DEWARI to JITUMONI DEURI due to mismatch in my Army Service Record. vide Affidavit No. BV 598301 Dated 04/08/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Service No. 15794967X Rank- LHAV (DS) Name- DINAMONI BORDOLOI, Residing at Village- Ghuligaon, Post- Baghara, Tehsil- Morigaon, District- Morigaon, State- Assam Pin- 782105 have changed my Wife's Name from JITUMONI DEWARI to JITUMONI DEURI due to mismatch in my Army Service Record. vide Affidavit No. BV 598301 Dated 04/08/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सेवा क्रमांक 4375649X पद एल/एनके नाम संजय खोवा सिंह युनिट- 6 अग्रम रजिमेंट, गांव हीनगाम मयाई लीकाई, जिला इंफाल पूर्व, राज्य पण्णपूर- पिन-795002 में निवास करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का स्थायी निवासी हूँ। सेवा दस्तावेजों में गलत प्रकाशन के कारण मैंने अपनी पत्नी की जन्मतिथि 06/07/2010 से बदलकर 04/03/2009 कर लिया है - मैं अपनी पत्नी कि जन्मतिथि के साथ के लिए यह शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ। दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। इसके बाद सभी अभिलेखों, कार्यों और वसीयत में और लेन-देन से संबंधित सभी कार्यावहियों में, निजी और साथ ही सभी अवसरों पर, जो भी हों, केवल जन्मतिथि 04/03/2009 के रूप में जानी जाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सेवा क्रमांक 4375649X पद एल/एनके नाम संजय खोवा सिंह युनिट- 6 अग्रम रजिमेंट, गांव हीनगाम मयाई लीकाई, जिला इंफाल पूर्व, राज्य पण्णपूर- पिन-795002 में निवास करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का स्थायी निवासी हूँ। सेवा दस्तावेजों में गलत प्रकाशन के कारण मैंने अपनी पत्नी की जन्मतिथि 06/07/2010 से बदलकर 04/03/2009 कर लिया है - मैं अपनी पत्नी कि जन्मतिथि के साथ के लिए यह शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ। दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। इसके बाद सभी अभिलेखों, कार्यों और वसीयत में और लेन-देन से संबंधित सभी कार्यावहियों में, निजी और साथ ही सभी अवसरों पर, जो भी हों, केवल जन्मतिथि 04/03/2009 के रूप में जानी जाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सेवा क्रमांक 4375649X पद एल/एनके नाम संजय खोवा सिंह युनिट- 6 अग्रम रजिमेंट, गांव हीनगाम मयाई लीकाई, जिला इंफाल पूर्व, राज्य पण्णपूर- पिन-795002 में निवास करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का स्थायी निवासी हूँ। सेवा दस्तावेजों में गलत प्रकाशन के कारण मैंने अपनी पत्नी की जन्मतिथि 06/07/2010 से बदलकर 04/03/2009 कर लिया है - मैं अपनी पत्नी कि जन्मतिथि के साथ के लिए यह शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ। दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। इसके बाद सभी अभिलेखों, कार्यों और वसीयत में और लेन-देन से संबंधित सभी कार्यावहियों में, निजी और साथ ही सभी अवसरों पर, जो भी हों, केवल जन्मतिथि 04/03/2009 के रूप में जानी जाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सेवा क्रमांक 4375649X पद एल/एनके नाम संजय खोवा सिंह युनिट- 6 अग्रम रजिमेंट, गांव हीनगाम मयाई लीकाई, जिला इंफाल पूर्व, राज्य पण्णपूर- पिन-795002 में निवास करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का स्थायी निवासी हूँ। सेवा दस्तावेजों में गलत प्रकाशन के कारण मैंने अपनी पत्नी की जन्मतिथि 06/07/2010 से बदलकर 04/03/2009 कर लिया है - मैं अपनी पत्नी कि जन्मतिथि के साथ के लिए यह शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ। दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। इसके बाद सभी अभिलेखों, कार्यों और वसीयत में और लेन-देन से संबंधित सभी कार्यावहियों में, निजी और साथ ही सभी अवसरों पर, जो भी हों, केवल जन्मतिथि 04/03/2009 के रूप में जानी जाएगी।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री केम सिंह ने एक अवतल संघीत जिसका पटवर्ती हल्का नंबर 66, कोटा लखर तहसील व जिला गालियर के सर्वे क्र. 2163 में स्थित है को कच करके कागजितन विपन्न अर्धवृद्ध- पत्र गणित मालिक श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री बलराम से सम्पदित किया है जिसकी वसूली- पूर्व में रास्ता, पहिचम में प्लेट रमेस प्रजापति, उत्तर में - केवटी पदम बाई, दक्षिण में विधिवत दर्ज है। एक केवल श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री बलराम द्वारा शीघ्र ही लिखित वरिष्ठ विपन्न-पत्र केता के पक्ष में सम्पदित किया जाने वाला है। अतः उक्त संघीत को मेरे पक्षकार विधिवत संरक्षण के समक्ष उक्त संघीत पर अग्रण प्राप्त विपन्न जेठ हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक फिज्डा नाम प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या आंशिक भाग या किसी भी संस्था की कोई राशि अवरोध हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत दर्ज हो कर समर्थन में प्रस्ताव पत्रा सहित मेरे कार्यालय में संर्क कर उतना पत्र प्राप्त करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अस्तान उपरत समस्त अप्रतिष्ठा एवं सूचना प्रपत्र के समक्ष ध्वंस, ध्वंस व प्रभावकीन होगी और उक्त संघीत पर पदतंत्र प्रपत्र हेतु बंधककर्ता विधिवत संरक्षण का अधिकार स्वीकृत होगा। संप्रत्य सूचित हो। दिनांक:- 04-08-2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री केम सिंह ने एक अवतल संघीत जिसका पटवर्ती हल्का नंबर 66, कोटा लखर तहसील व जिला गालियर के सर्वे क्र. 2163 में स्थित है को कच करके कागजितन विपन्न अर्धवृद्ध- पत्र गणित मालिक श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री बलराम से सम्पदित किया है जिसकी वसूली- पूर्व में रास्ता, पहिचम में प्लेट रमेस प्रजापति, उत्तर में - केवटी पदम बाई, दक्षिण में विधिवत दर्ज है। एक केवल श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री बलराम द्वारा शीघ्र ही लिखित वरिष्ठ विपन्न-पत्र केता के पक्ष में सम्पदित किया जाने वाला है। अतः उक्त संघीत को मेरे पक्षकार विधिवत संरक्षण के समक्ष उक्त संघीत पर अग्रण प्राप्त विपन्न जेठ हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक फिज्डा नाम प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या आंशिक भाग या किसी भी संस्था की कोई राशि अवरोध हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत दर्ज हो कर समर्थन में प्रस्ताव पत्रा सहित मेरे कार्यालय में संर्क कर उतना पत्र प्राप्त करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अस्तान उपरत समस्त अप्रतिष्ठा एवं सूचना प्रपत्र के समक्ष ध्वंस, ध्वंस व प्रभावकीन होगी और उक्त संघीत पर पदतंत्र प्रपत्र हेतु बंधककर्ता विधिवत संरक्षण का अधिकार स्वीकृत होगा। संप्रत्य सूचित हो। दिनांक:- 04-08-2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री केम सिंह ने एक अवतल संघीत जिसका पटवर्ती हल्का नंबर 66, कोटा लखर तहसील व जिला गालियर के सर्वे क्र. 2163 में स्थित है को कच करके कागजितन विपन्न अर्धवृद्ध- पत्र गणित